

**अधिसूचना संख्या 169/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1956(ई), दिनांक
20-7-2015**

जबकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एसओ 234 (ई) दिनांक 15 फरवरी, 2007 द्वारा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) के तहत जारी, केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 5 पर, "केयर इंडिया मेडिकल सोसाइटी, एच -1/13, सालुंके विहार, पुणे - 411048 (महाराष्ट्र)" द्वारा "विश्रांति क्रिटिकल कैंसर पैलिएटिव केयर सेंटर" को वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित किया था; जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 852 (ई) दिनांक 25 मार्च, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे अधिसूचना संख्या एसओ 2414 (ई) दिनांक 9 अक्टूबर, 2012 के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम का विस्तार नौ वर्ष से अधिक होने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय समिति ने इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को तीन वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, "विश्रांति क्रिटिकल कैंसर पैलिएटिव केयर सेंटर" योजना या परियोजना को, जो "केयर इंडिया मेडिकल सोसाइटी, एच -1/13, सालुंके विहार, पुणे - 411048 (महाराष्ट्र)" द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, 6.69 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना, वित्तीय वर्ष 2015-16 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना या योजना के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18।

■ ■